

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 101 /2016-2017 दिनांक 28 अप्रैल, 2016

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 233/XXIV-नवसृजित/16-17(01)/2015 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 एवं एवं शासनादेश संख्या 257 XXIV-नवसृजित/16-07(04)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के क्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के निम्नांकित सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे-4600) को उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता-हिन्दी (महिला शाखा) के पद पर मौलिक पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से तैनात/पदस्थापित किया जाता है।

क० सं०	अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	वर्तमान पद एवं विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	04	05	06
1	श्रीमती हेमा जोशी	रा०बा०इ०का० एन०टी०डी० अल्मोड़ा	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० बाड़ेछीना अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती भावना पाण्डेय	रा०क०उ०मा०वि० जलना अल्मोड़ा	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० जलना अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती खष्टी आर्य	रा०बा०इ०का० जलना, अल्मोड़ा	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० एन०टी०डी० अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती सिद्धी डोभाल	रा०क०इ०का० बुग्गावाला हरिद्वार	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० सधीपुर हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती कुसुम मैथुरी	रा०क०उ०मा०वि० नैगवाड़ सुभाषनगर गोपेश्वर	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० थराली, चमोली	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती आभा थपलियाल	रा०क०इ०का० सहिया देहरादून	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० दन्या, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती शशिकान्ता रावत	रा०क०इ०का० गौचर, चमोली	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० पोखरी चमोली	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती चन्द्रकला बैजवाल	रा०क०उ०मा०वि० हर्रावाला देहरादून		रा०बा०इ०का० घनसाली, टिहरी	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती रेखा कँचुरा	रा०क०उ०मा०वि० शमशेरगढ़ देहरादून	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० रानीपोखरी देहरादून	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती कमला बिष्ट	रा०क०इ०का० अल्मोड़ा		रा०बा०इ०का० जयन्ती, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
11	डा० गीता पन्त	रा०क०इ०का० ऐँचोली, पिथौरागढ़	स०अ० भाषा	रा०क०इ०का० ऐँचोली, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती अरुणा वर्मा	रा०बा०इ०का० पन्तनगर उ०सि०न०	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० बेतालघाट, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
13	श्रीमती रीता नेगी	रा०बा०इ०का० राजपुर, रोड देहरादून	स०अ० संस्कृत	रा०बा०इ०का० लम्बगॉव, टिहरी	रिक्त पद के प्रति
14	कंचनलता	रा०क०इ०का० चम्पावत	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० खेतीखान चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
15	डा० श्रीमती हेमा भारती	रा०क०इ०का० पंतनगर उ०सि०न०	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० हल्द्वानी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
16	अनिता सिंह	रा०क०इ०का० जसपुर उ. सि.नगर	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० मासी, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
17	गीता रानी	रा.क.इ.का.शक्तिफार्म उ. सि.नगर	स०अ० भाषा	रा०बा०इ०का० सुल्तानपुर उ०सि०नगर	रिक्त पद के प्रति
18	श्रीमती किरन जुयाल	रा.क.उ.मा.वि.लालपानी पौड़ी	स०अ० गृह विज्ञान	रा०बा०इ०का० पैडुल पौड़ी	रिक्त पद के प्रति

19	श्रीमती मधु नैथानी	रा0क0इ0का0 पौड़ी (नगर) पौड़ी	स0अ0 भाषा	रा0बा0इ0का0 पाबो पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
20	श्रीमती पूर्णिमा शर्मा	रा0क0उ0मा0वि0सहसपुर देहरादून	स0अ0 भाषा	रा0बा0इ0का0 हरिपुर कालसी देहरादून	रिक्त पद के प्रति
21	श्रीमती इन्दू कोठारी	रा0क0इ0का0 बौराड़ी नई टिहरी	स0अ0 भाषा	रा0क0इ0का0 बौराड़ी नई टिहरी	रिक्त पद के प्रति
22	श्रीमती रेखा तोपाल	रा0क0इ0का0 कर्णप्रयाग चमोली	स0अ0 भाषा	रा0बा0इ0का0 नारायणबगड़ चमोली	रिक्त पद के प्रति
23	श्रीमती रेनु चौहान	एस0सी0ई0आर0टौ0 उत्तराखण्ड	स0अ0 सामान्य	रा0बा0इ0का0, लैन्सडौन, पौड़ी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
24	श्रीमती कालिन्दी विश्वकर्मा	रा0क0उ0मा0वि0 मयाली लस्या रुद्रप्रयाग	स0अ0 भाषा	रा0बा0इ0का0 चम्बा टिहरी	रिक्त पद के प्रति
25	श्रीमती नम्रता देवली	रा0क0इ0का0 लम्बगौंव टिहरी	स0अ0 भाषा	रा0बा0इ0का0 राजपुर रोड़ देहरादून	रिक्त पद के प्रति
26	श्रीमती लता पन्त	रा0क0उ0मा0वि0 शान्तिपुरी उ.सि.नगर	स0अ0 भाषा	रा0बा0इ0का0 दौलाघट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
27	विजया तिवारी	रा0क0इ0का0पन्तनगर उ0सि0न0	स0अ0 भाषा	रा0बा0इ0का0 रानीखेत अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
28	सुमनलता गंगवार	रा0क0उ0मा0वि0 हरिदासपुर उ0सि0न0	स0अ0 भाषा	रा0बा0इ0का0 द्वाराहाट, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
29	श्रीमती परमेश्वरी पाण्डेय	रा0क0इ0का0 अगस्तमुनि रुद्रप्रयाग	स0अ0 भाषा	रा0बा0इ0का0 चिन्मालसौड़ उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
30	ममता वत्स	रा0क0उ0मा0वि0 भिक्यासैण अल्मोड़ा	स0अ0 अंगेजी	रा0बा0इ0का0 चौखुटिया अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
31	श्रीमती पुष्पा चन्द्र	रा0क0इ0का0 भीमताल नैनीताल	स0अ0 भाषा	रा0बा0इ0का0 चोरगलिया नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

2. पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर पदोन्नत शिक्षकों को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयवाधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम-9(2) के तहत अगले तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उक्त शिक्षकों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

4. उक्त पदोन्नतियां मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0 1486/एस0एस0/2013 जीवन सिंह धामी व 17 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0 1487/एस0एस0/2013 लक्ष्मण सिंह खाती व 11 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेंगी।

(बी0एस0 मैगी)

प्रभारी अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0 सं0 सेवा-2/अराज0/ 2156-69 /2016-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

- (6) मुख्य कौषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की विषयवार संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कार्यभार से मुक्त होने एवं पदोन्नति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का विवरण विभागीय ई-पोर्टल पर तत्काल ही अंकित करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में कदापि लापरवाही न बरती जाय।
- (10) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों से निर्मांकित अभिलेखों की पुष्टि होने पर ही पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें-
- (क) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ संस्कृत विषय में स्नातक उपाधि धारक हों।
- (ख) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत हों तथा पाँच वर्ष की नियमित तथा सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (ग) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो प्रस्तावित है और न ही गतिमान है।
- (घ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका, जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में पदोन्नत हुए हैं, वह मूल रूप में उसी संवर्ग में नियुक्त भी हुए हैं। कोई शिक्षक/शिक्षिका जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में नियुक्त हुए हैं तथा उनकी पदोन्नति निम्न संवर्ग में हुई है, उन्हें किसी भी दशा में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न करायें।
- (ङ) प्रवक्ता हिन्दी के पद पर पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका संस्कृत विषय से स्नातक उपाधि धारक हों।
- (च) इस पदोन्नति आदेश में संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती विद्यालय में स्थानान्तरण या अन्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्तम्भ-3 में अंकित विद्यालय से या संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की सेवा पुस्तिका से उनके संबंध में पुष्टि करने के उपरान्त संबंधित उन्हें कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें।
- (ज) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों में कोई निम्नता परिलक्षित होती हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक को कार्यभार से मुक्त न करें तथा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय को पंजीकृत पत्र से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (झ) शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ई-पोर्टल पर संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की कार्यभार ग्रहण करने की अंकना तत्काल कराना सुनिश्चित करें।
कृपया उक्त बिन्दुओं पर भली-भांति जांच करने के पश्चात् ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्थाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (11) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्तर-10 में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने पर ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त किसी प्रकार की समयवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(यु0डी0 गोस्वामी)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।